पुरानी कर व्यवस्था के तहत

# Schedule of Income-Tax

# आयकर की अनुसूची

(चार प्रतियों में भर कर दें)

सामान्य कर योजना में वित्तीय वर्ष 2024-2025 (कर निर्धारण वर्ष 2025-2026)

Name of Assessee करदाता का नाम .....

Designation पदनाम .....

Office/School कार्यालय/विद्यालय का नाम .....

PAN No. स्थायी लेखा संख्या ..... कोषागार का नाम .....

| | Rs. |
|---|---|
| (क) वेतन स्रोत से आय का विवरण : 7वाँ वेतनमान में वेतन लेवल ..... | |
| 1. वेतन :- (दिनांक 1-3-24 से 28-02-25 तक) ..... ..... | |
| 2. महँगाई भत्ता :- ..... ..... ..... | |
| 3. मकान किराया भत्ता :- ..... ..... ..... | |
| 4. चिकित्सा भत्ता :- ..... ..... ..... | |
| 5. परिवहन भत्ता :- ..... ..... ..... | |
| 6. परिवहन भत्ता पर महँगाई भत्ता :- ..... ..... ..... | |
| 7. विशेष वेतन/बोनस/मानुदेय/नर्सिंग भत्ता:- ..... ..... ..... | |
| 8. महँगाई भत्ता की बकाया राशि :- ..... ..... ..... | |
| 9. बकाया वेतन एवं भत्ते की राशि :- ..... ..... ..... | |
| 10. वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय :- ..... ..... ..... | |

| | Rs. |
|---|---|
| (ख) धारा 80C के अन्तर्गत अंशदान एवं अदायगियाँ : | |
| (i) भविष्य निधि में अंशदान ..... ..... ..... ..... | |
| (ii) ग्रूप-बीमा में अंशदान ..... ..... ..... ..... | |
| (iii) जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का भुगतान (31.03.12 तक जारी पॉलिसी के लिए बीमित राशि का 20% तथा 01.04.2012 के बाद जारी बीमा पॉलिसी के मामले में बीमित राशि का 10% तक) | |
| (iv) राष्ट्रीय बचत पत्र का क्रय ..... ..... ..... ..... | |
| (v) पी०पी०एफ० में जमा ..... ..... ..... ..... | |
| (vi) बैंक/डाकघर में कर बचत फिक्सड डिपोजिट (5 वर्षों के लिए) ..... ..... | |
| (vii) पुत्र/पुत्री की शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फीस) का भुगतान (दो संतान के लिए अनुमान्य) ..... | |
| (viii) 31-03-2025 के पूर्व निर्माण कार्य पूरा हुए मकान के गृह निर्माण अग्रिम के किस्तों (ऋण/मूलधन की वापसी) की अदायगी की राशि अथवा आवास बोर्ड इत्यादि के क्रय मकान, फलैट के मूल्य की राशि | |
| (ix) इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स/म्यूच्यूल फंड स्कीम के तहत अंशदान ..... ..... | |
| (x) धारा 80C के अंतर्गत अंशदान एवं अदायगियों का योगफल ..... ..... | |
| (xi) धारा 80CCC के अंतर्गत LIC की पेंशन योजना (जीवन सुरक्षा) या अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन फंड में अंशदान पर (अधिकतम Rs. 1,50,000 तक कटौती) | |
| (xii) धारा 80CCD(1) के अन्तर्गत नई अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा अंशदान ..... (वेतन+महँगाई भत्ता का 10%) (Rs. ..... x 12) = ..... | |
| (xiii) धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के अंतर्गत अंशदान एवं अदायगियों कुल योगफल, जिसकी अधिसीमा Rs. 1,50,000 तक निर्धारित है। परन्तु, झारखण्ड/बिहार सरकार/नियोक्ता द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में धारा 80CCD (2) के तहत कटौती Rs. 1,50,000 के अलावा मिलेगी। | |
| (xiv) धारा 80CCD (1B) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के लिए अधिकतम Rs. 50,000/- तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, बशर्ते ऐसे अंशदान के लिए धारा 80CCD (1) के तहत कटौती नहीं मांगी गई हो। | |

Scanned with OKEN Scanner

ग ) आयकर की संगणना :

Rs.

1. वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय .....
2. *घटायें*-धारा 10 (13A) के अन्तर्गत छूट (–)
   ( प्राप्त मकान किराया भत्ता की राशि जो निम्नांकित की न्यूनतम राशि कर मुक्त होगा )
   (a) वास्तव में प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता Rs. .....
   (b) वेतन और महँगाई भत्ता के योग का 10वें भाग से अधिक भुगतायी गयी मकान किराया भत्ता की राशि (Rs. .....x12) – (Rs. ..... ÷ 10) = Rs. .....
3. वेतन स्रोत से प्राप्त आय .....
4. *घटायें*-धारा 16(ia) के अन्तर्गत मानक कटौती की राशि Rs. 50,000/- (–)
5. *घटायें*-धारा 16(iii) के अन्तर्गत Tax on Employment ( प्रोफेशनल टैक्स )/मनोरंजन भत्ता (–)
6. *घटायें*-धारा 24(1) के अन्तर्गत स्वयं के कब्जे वाली कोई सपंत्ति 1.4.1999 को या उसके बाद उधार (–)
   ली गई पूँजी से खरीदी या निर्माण की गई हो और जिस वित्त वर्ष में उधार लिया गया हो उसकी समाप्ति से 5 वर्ष के भीतर खरीद या निर्मित की गई हो, तो ब्याज के लिए कटौती Rs.2,00,000 तक ली जा सकती है। अन्य स्थितियों में ब्याज के लिए अधिकतम कटौती Rs. 30,000 होगी।
7. कुल आय .....
8. जोड़े-अन्य स्रोतों से आय ..... (+)
9. जोड़े-गृह सम्पत्ति से आय ..... (+)
10. जोड़े-बैंक/डाकघर में बचत खातों पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त राशि..... (+)
11. जोड़े-बैंक/डाकघर में F.D./R.D. पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त राशि ..... (+)
12. सकल प्राप्त आय (Gross Total Income) .....
13. *घटायें*-धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के अन्तर्गत अंशदान एवं अदायगियों की योगफल की राशि (–)
14. *घटायें*-धारा 80CCD(1B) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के लिए अधिकतम (–)
    Rs. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, बशर्ते ऐसे अंशदान के लिए धारा 80CCD(1) के तहत कटौती नहीं मांगी गई हो ।
15. *घटायें*-धारा 80D के अन्तर्गत आश्रित के स्वास्थ्य पर बीमा प्रीमियम की राशि (–)
    ( अधिकतम Rs. 25,000 ( 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को Rs. 50,000 तक )
16. *घटायें*-धारा 80DD, 80DDB एवं 80U के अन्तर्गत अनुमान्य कटौती की राशि (–)
    (80DD के लिए प्रपत्र 10-1A एवं 80DDB के लिए प्रपत्र 10-1 में प्रमाण पत्र संलग्न करें)
17. *घटायें*-धारा 80E, उच्चतर शिक्षा के लिए लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती (–)
    ( पति, पत्नी एवं बच्चों के लिए ) बिना किसी सीमा के घटायें
18. घटायें-धारा 80EE के अन्तर्गत पहले आवासीय मकान संपत्ति के लिए ( वित्तीय वर्ष 1.4.16 से ) (–)
    31.3.17 में ) लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती राशि ( अधिकतम Rs. 50,000) तक घटायें।
19. *घटायें*-धारा 80EEA के अन्तर्गत सस्ते मकान के लिए ( 1.4.19 से 31.3.22 के दौरान ) लिये गए (–)
    ऋण पर ब्याज की कटौती राशि ( अधिकतम Rs. 1,50,000) तक घटायें।
20. *घटायें*-धारा 80EEB के अन्तर्गत विद्युत चलित वाहन की खरीद के लिए ( 1.4.19 से 31.3.23 (–)
    के दौरान ) लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती राशि ( अधिकतम Rs. 1,50,000) तक घटायें।
21. *घटायें*-धारा 80G के अन्तर्गत पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दान की अनुमान्य राशि (–)
22. *घटायें*-धारा 80TTA के तहत बचत खाते में जमा पर ब्याज की कटौती (–)
    ( बैंक/डाकघर में बचत खातों पर ब्याज अधिकतम (Rs. 10,000 तक कटौती योग्य है )
23. कर योग्य आय (Rs. 10 के गुणक में परिवर्तित राशि ) .....
24. Rs. ..... पर देय आयकर*
    (i) प्रथम Rs. 2,50,000 पर आयकर* शून्य (NIL)
    (ii) अगला Rs. ..... का @ 5% = Rs. .....
    (Rs. 2,50,001 से Rs. 5,00,000 तक)
    (iii) अगला Rs. ..... का @ 20% = Rs. .....
    (Rs. 5,00,001 से Rs. 10,00,000 तक)
    (iv) शेष Rs. ..... का @ 30% = Rs. .....
    (Rs. 10,00,001 से अधिक राशि पर ) योग Rs. .....
    *कर मुक्त आय : 60 वर्ष से कम आयु की पुरुष/महिला के लिए छूट की सीमा Rs. 2,50,000 है।
25. *घटायें*-धारा 87A के तहत कर में राहत ( कर योग्य आय Rs. 5,00,000 तक के लिए Rs. 12,500) (–)
26. शुद्ध देय आयकर .....
27. जोड़े-4% ( स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर ) Rs. ..... का 4% = Rs. ..... (+)
28. कुल देय आयकर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योगफल
29. *घटायें*-धारा 89(i) के अन्तर्गत बकाया राशि पर आयकर में छूट ( गणना तालिका संलग्न ) (–)
30. *घटायें*-प्रतिमाह वेतन से आयकर का भुगतान या अग्रिम कर का भुगतान (–)
31. *घटायें*-चालान द्वारा जमा किया गया आयकर की राशि नगद/चेक नं०..... दिनांक..... (–)
32. वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की भुगतेय राशि

करदाता का हस्ताक्षर

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर TAN

Scanned with OKEN Scanner

# FORM NO. 16

[See Rule 31(1) (a)]

# T.D.S.

## PART A

**Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary**

| Name and address of the Employer | Name and address of the Employee |
|---|---|
| | |

| PAN or Aadhaar Number of the Deductor | TAN of the Deductor | PAN or Aadhaar No. of the Employee | Employee Reference No. provided by the Employer (If available) |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CIT (TDS) | Assessment Year | Period with the Employer | |
|---|---|---|---|
| Address..... ..... ..... ..... City.....Pin code..... | | From | To |
| | | | |

**Summary of amount paid/credited and tax deducted at source there on in respect of the employee**

| Quarter(s) | Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under sub-section (3) of section 200 | Amount paid/credited | Amount of tax deducted (Rs.) | Amount of tax deposited/remitted(Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Quarter 1 | | | | |
| Quarter 2 | | | | |
| Quarter 3 | | | | |
| Quarter 4 | | | | |
| Total (Rs.) | | | | |

**I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT**

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

| Sl. No. | Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.) | Book Identification Number (BIN) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Receipt numbers of Form No. 24G | DDO Serial number in Form No. 24G | Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy) | Status of matching with Form No. 24G |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| Total | (Rs.) | | | | |

**II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN**

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

| Sl. No. | Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.) | Challan Identification Number (CIN) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BSR Code of the Bank Branch | Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy) | Challan Serial Number | Status of matching with OLTAS |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| Total | (Rs.) | | | | |

## Verification

I,....., son/daughter of .....

working in the capacity of .....(designation) do here by certify that a sum of

Rs. .....[Rs. ..... (in words)]

has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

| | |
|---|---|
| **Place :-** | **(Signature of person responsible for deduction of tax)** |
| **Date :-** | **Full Name :** |
| **Designation :-** | |

Scanned with OKEN Scanner

## PART B (ANNEXURE)

## Details of Salary paid and any other income and tax deducted

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gross Salary | | | |
| (a) | Salary as per provisions contained in section 17(1) | | Rs. ... | |
| (b) | Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable) | | Rs. ... | |
| (c) | Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable) | | Rs. ... | |
| (d) | Total | | | Rs. ... |
| (e) | Reported total amount of salary received from other employees) | | | Rs. ... |
| 2. | *Less* : Allowances to the extent exempt under section 10 | | | |
| (a) | Travel concession or assistance under section 10(5) | | Rs. ... | |
| (b) | Death-cum-retirement gratuity under section 10(10) | | Rs. ... | |
| (c) | Commuted value of pension under section 10(10A) | | Rs. ... | |
| (d) | Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA) | | Rs. ... | |
| (e) | House rent allowance under section 10(13A) | | Rs. ... | |
| (f) | Amount of any other exemption under section 10 | | | |
| | clause... | Rs. ... | | |
| | clause... | Rs. ... | | |
| | clause... | Rs. ... | | |
| | clause... | Rs. ... | | |
| | clause... | Rs. ... | | |
| | ... | Rs. ... | | |
| (g) | Total amount of any other exemption under section 10 | | Rs. ... | |
| (h) | Total amount of exemption claimed under section 10 [2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)] | | | Rs. ... |
| 3. | Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(h)] | | | RS. ... |
| 4. | *Less* : Deductions under section 16 | | | |
| (a) | Standard deduction under section 16(ia) (Rs. 50,000/-) | | Rs. ... | |
| (b) | Entertainment allowance under section 16(ii) | | Rs. ... | |
| (c) | Tax on employment **(Professional Tax)** under section 16(iii) | | Rs. ... | |
| 5. | Total amount of deductions under section 16 [4(a)+4(b)+4(c)] | | | Rs. ... |
| 6. | Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e) - 5] | | | Rs. ... |
| 7. | *Add* : Any other income reported by the employee under as per section 192 (2B) | | | |
| (a) | Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS | | Rs. ... | |
| (b) | Income under the head Other Sources offered for TDS | | Rs. ... | |
| 8. | Total amount of other income reported by the employee [7(a)+7(b)] | | | Rs. ... |
| 9. | Gross total income (6+8) | | | Rs. ... |
| 10. | Deductions under Chapter VI-A | | Gross Amount | Deductible Amount |
| (a) | Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C | | Rs. ... | Rs. ... |
| (b) | Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC | | Rs. ... | Rs. ... |
| (c) | Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (d) | Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(l) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (e) | Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (f) | Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCD(2) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (g) | Deduction in respect of health insurance premia under section 80D | | Rs. ... | Rs. ... |
| (h) | Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E | | Rs. ... | rs . ... |
| | Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G | Gross Amount | Qualifying Amount | Deductible Amount |
| (j) | Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| (k) | Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section.... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| (l) | Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| 11. | Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(a)+10(b)+10(c)+10(d)+ 10(e)+10(f)+ 10(g)+10(h)+10(i)+10(j)+10(l)] | | | Rs. ... |
| 12. | Total taxable income (9-11) (R/o to the nearest rupees ten) | | | Rs. ... |
| 13. | Tax on total income | | | Rs. ... |
| 14. | Rebate under section 87A, if applicable | | | Rs. ... |
| 15. | Surcharge, wherever applicable | | | Rs. ... |
| 16. | Health and education cess @ 4%. | | | Rs. ... |
| 17. | Tax payable (13 + 15 + 16 - 14) | | | Rs. ... |
| 18. | Less: Relief under section 89 (attach details) | | | Rs. ... |
| 19. | Net tax payable (17 – 18) | | | Rs. ... |

## Verification

I,....., son/daughter of .....

working in the capacity of .....(designation) do here by certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, and other available records.

| | |
|---|---|
| Place | |
| Date | (Signature of person responsible for deduction of tax) |
| Designation | Full Name: |

Scanned with OKEN Scanner

# वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों की विवरणी

नाम ..... पदनाम ..... कार्यालय/विद्यालय का नाम .....

7वाँ वेतनमान में वेतन लेवल .....

| माह एवं वर्ष | वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित मूल वेतन | महँगाई भत्ता | मकान किराया भत्ता | चिकित्सा भत्ता | शहरी परिवहन भत्ता | परिवहन भत्ता पर महँगाई भत्ता | अन्य भत्ता | आय का कुल योग | भ०नि०/ C.P.F. में अंशदान | ग्रूप-बीमा में अंशदान | पेशाकर | गृह नि०अ० की किस्तों की वसूली | कटौतियों का योग | शुद्ध आय | आयकर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| मई, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| जून, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| जुलाई, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| अगस्त, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| सितम्बर, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| नवम्बर, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| दिसम्बर, 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| जनवरी, 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| फरवरी, 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल योग | | | | | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner